



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



आदर्श चिकित्सालय एवं व्यावसायिक रोग केन्द्र
Model Hospital and ODC Indore
uankuxj] bankSj& 452011
Nanda Nagar, Indore - 452011
Email - ms-indore@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in, www.esichospital.gov.in, www.esic.in

सार्वजनिक सूचना

यह सार्वजनिक सूचना, आम जनता, सम्बंधित रोगियों, रोगियों के कानूनी प्रतिनिधियों सहित एवं सभी संबंधितों को सूचित करने के लिए है कि, क.रा.बी.नि. आदर्श चिकित्सालय, नन्दा नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश, अपनी वीडिंग आउट नीति के रूप में 1 जनवरी 2015 से 31 दिसम्बर 2017 अपने चिकित्सालय में दाखिल किये गए मरीजों के चिकित्सा अभिलेखों को नष्ट करने के विचाराधीन है। जिन उपस्थित चिकित्सा अभिलेखों को नष्ट करने का विचार है, उनमें विभिन्न प्रवेश फाइलें, सहमति, प्रक्रिया आदि शामिल हैं, जिन्हें क.रा.बी.नि. मुख्यालय के परिपत्र संख्या U-16/30/232/2013-Pro.Cell(SST)/Pro.Cell(SST)/Maha./Wup, दिनांक - 09/05/2019 के अनुसार बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।

पुराने अभिलेखों को नष्ट करना क.रा.बी.नि. मुख्यालय द्वारा अपने उपरोक्त दर्शाए परिपत्र में निर्धारित चिकित्सा अभिलेख के प्रतिधारण अनुसूची के अनुसार उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।

यह सूचित किया जाता है कि, आम जनता, सम्बंधित रोगियों, रोगियों के कानूनी प्रतिनिधियों सहित एवं सभी संबंधितों या किसी प्राधिकारी के मामले में,

- इनमें से किसी भी अभिलेख की एक प्रति चाहता है या,
- उसमें निहित किसी भी जानकारी की आवश्यकता है या,
- इन अभिलेखों की सामग्री में कोई भी हिस्सेदारी / हित जो भी हो या भविष्य में ऐसी कोई हिस्सेदारी / हित धारण करने की संभावना है।

वह, इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों की अवधि के भीतर चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय, क.रा.बी.नि. आदर्श चिकित्सालय, नन्दा नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश, में संबंधित अभिलेखों के विवरण का उल्लेख करते हुए आपत्ति दर्ज कर सकता है।

यदि उपरोक्त 15 दिनों की अवधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो उपर्युक्त अभिलेखों को तत्काल नष्ट कर दिया जाएगा, जो अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपयुक्त समझा जाएगा। इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों की अवधि के बाद मामले के संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

दिनांक: 03/11/2024

स्थान: इंदौर, मध्य प्रदेश,

चिकित्सा अधीक्षक

क.रा.बी.नि.आदर्श चिकित्सालय,
नन्दा नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश,



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



आदर्श चिकित्सालय एवं व्यावसायिक रोग केन्द्र
Model Hospital and ODC Indore
uankuxjj bankSj& 452011
Nanda Nagar, Indore - 452011
Email - ms-indore@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in, www.esichospital.gov.in, www.esic.in

सार्वजनिक सूचना

क.रा.बी.नि. आदर्श चिकित्सालय, नन्दा नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश, अपनी वीडिंग आउट नीति के रूप में 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2017 के समय अंतराल में अपने चिकित्सालय में दाखिल किये गए मरीजों के चिकित्सा अभिलेखों को नष्ट करने के विचाराधीन है। वह, इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों की अवधि के भीतर चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय, क.रा.बी.नि. आदर्श चिकित्सालय, नन्दा नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश, में संबंधित अभिलेखों के विवरण का उल्लेख करते हुए आपत्ति दर्ज कर सकता है।

यदि उपरोक्त 15 दिनों की अवधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो उपर्युक्त अभिलेखों को तत्काल नष्ट कर दिया जाएगा, जो अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपयुक्त समझा जाएगा। इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों की अवधि के बाद मामले के संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

Handwritten signature and date: 08/11/2024

चिकित्सा अधीक्षक

क.रा.बी.नि.आदर्श चिकित्सालय,
नन्दा नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश